बंगारू वेकेंट राव

बनाम

आन्ध्र प्रदेश राज्य

(अपराधिक अपील संख्या 885/2005)

05 अगस्त, 2008

(डॉ अरिजीत पसायत और जी.एस. सिंघवी, जेजे.)

धारा 304 (भाग एक) भा.द.सं.-

अभियुक्त ने अपनी पत्नि पर चाकू से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई- अंतर्गत धारा 302 भादस। अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त और मृतका के बीच अचानक लडाई हुई थी और केवल एक ही बार वार किया गया था, इस प्रकरण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को दरकिनार करते हुए उचित दोषसिद्धि धारा 304 (भाग एक) भादस के तहत होगी। उक्तानुसार दोषसिद्धि में परिवर्तन किया गया।

धारा 300 अपवाद 4- आवश्यक तथ्यों कि प्रयोज्यता- इस प्रकार- अभियोजन मामला यह है कि आरोपी ने अपनी पत्नि के पेट में चाकू से वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। विचारणीय न्यायालय ने उसे धारा 302 भादस के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय

के समक्ष अभियुक्त ने यह रूख अपनाया कि उसने अपने निजी बचाव में यह अपराध किया है और इसलिए उसे धारा 302 भादस के तहत दोषी ठहराया गया, जो उचित नहीं है और उसने केवल एक बार चाकू से वार किया था और मृतका को मारने का कोई इरादा नहीं था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त बातों में कोई तथ्या नहीं पाया गया इसलिए अपील खारिज कर दी।

इस न्यायालय में अपीलार्थी ने अपील में तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि अभियुक्त और मृतका के बीच झगडा हुआ था और एक बार चाकू से वार किया गया था और इसलिए धारा 302 भादस के तहत दोषसिद्धि उचित नहीं है और धारा 304 का अपवाद 4 लागू होगा।

1. आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने स्थापित किया-

1.1 अचानक हुए झगडे में किया गया कृत्य आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिंद्धात पर आधारित है, क्योकिं दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामलें में,

केवल जुनून की वही उर्जा है जो पुरूषों के शांत कारण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यो के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है; लेकनि जो चोट पहुचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के बावजूद कि कोई झटका दिया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी तरह से झगडा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हे अपराध के संबंध में समान स्तर पर रखता है। [पैरा 9] [955-ए-डी]

1.2 'अचानक लडाई' का तात्पर्य आपसी उकसावे और दोनेां तरफ से मारपीट से है। तब की गई हत्या को स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण नहीं दिखा जा सकता है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। लडने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ संकल्प नहीं है। अचानक झगडा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनो पक्ष दोषी होते है। हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढाया होता तो इसने इतना गंभीर रूप नहीं लिया होता। इसके बाद आपसी उकसावें और उतेजना होती है, और प्रत्येक सेनानी पर जो दोष लगता है, उसे बांटना मुश्किल

होता है। अपवाद 4 की मदद तब जी जा सकती है जब मृत्यु (ए) बिना पूर्वचिन्तन के हुई हो, (बी) अचानक लडाई में, (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूरर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना, और (डी) लडाई में मारे गये व्यक्ति के साथ हुई होगी। किसी मामलें को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लेखित सभी सामग्रियां मिलनी होगी। [पैरा 9][955-डी-जी]

1.3 अपवाद 4 में होने वाली 'लडाई' भादस की धारा 300 में परिभाषित नहीं है। लडाई करने के लिए दो लोगो की जरूरत होती है। जुनून की उर्जा के लिए जरूरी है कि जुनून को ठंडा होने का समय मिले। इस मामले में पार्टियों ने शुरूआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को गुस्से में डाल दिया। लडाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लडाई है चाहे वे हथियारों के साथ हो या उनके बिना। अचानक होने वाला झगडा किसे माना जाएगा, इसके बारें में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगडा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामलें के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगडा हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से

कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' का अर्थ 'अनुचित लाभ' है। [पैरा 9][955-जी-एच; 956-ए-सी]

पप्पु बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2006) 7 एसएससी 391; रामकिशन बनाम महाराष्ट् राज्य (2007) 3 एसएससी 89- पर भरोसा किया गया।

1.4 जहॉ अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य करता है तब अपवाद 4 का लाभ उसको नहीं दिया जा सकता है। अगर हमलावर द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तब उस परिस्थित पर विचार किया जाना चाहिए कि हमलावर द्वारा हमले का तरीका सभी पेशेवर से बाहर है या क्या अनुचित लाभ उठाया गया है। [पैरा 10][956-डी]

किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1993 एससी 2426- पर भरोसा किया गया।

2. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में उचित सजा भादस की धारा 304 भाग एक के तहत होगी। 10 साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्येश्यों को पूरा करेगी। [पैरा 11][956-जी]

केस कानून संदर्भ

(2006) 7 एससीसी 391	भरोसा किया	पैरा 5
(2007) 3 एससीसी 89	भरोसा किया	पैरा 6

एआईआर 1993 एससी 2426 भरोसा किया पैरा 10

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या 885/2005।

आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद के 2002 की आपराधिक अपील संख्या 1237 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 13.12.2004 से।

एम.खरपगा विनायागम (ए.सी.), ए. विनायागम बालन और बलराज दीवान अपीलार्थी के लिए।

डी. बाराठी रेदोव प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय द्वारा निर्णय डॉ. अरिजीत पासायात के द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौति दी गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भदसं') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की विद्वान सत्र न्यायाधीश, श्रीकालूलम द्वारा दोषसिद्धि और सजा दई की गई डिफॉल्ट शर्त के साथ आजीवन कारावास और 1000/रूपये का जुर्माना को बरकरार रखा गया है।

2. अपीलकर्ता पर दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैः

आरोपी को अपराध से लगभग एक सप्ताह पहले तक अपनी पत्नि पोलम्मा (बाद में 'मृतका के रूप में संदर्भित) की उसके प्रति निष्ठा पर संदेह था। दिनांक 24.08.2000 को दोपहर 2:00 बजे आरोपी ने जान से माने की नियत से उसके पेट के बायीं ओर चाकू से वार किया। उसकी चींखे सुनकर पड़ोसी दमयंती, अप्पम्मा, आरोपी की बैटी शांति (पीडब्ल्यू-3) और अन्य लोग वहां पहुचे और आरोपी को चाकू पकड़े हुए पाया और उन्हे देखकर वह घर से बाहर निकल गया। पोलम्मा ने उन्हें बताया कि आरोपी ने उसे चाकू मार दिया है। उसे तुरंत पलाकोडा के अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्साधिकारी ने इलाज किया और पुलिस उपनिरिक्षक ने उसका बयान दर्ज किया और धारा 307 भादस के तहत अपराध संख्या 55/2000 दर्ज किया। पोलम्मा को मुख्यालय अस्पताल, श्रीकालूलम में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां इलाज के दौरान शाम 6:00 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर कानून की धारा 302 भादस में तब्दील कर दी गई। आरोपी को 25.08.2000 को शाम 4:00 बजे आरआईसी, बस परिसर से गिरफ्तार किया गया और उसके इकबालिया बयान के अनुसरण में पुलिस निरीक्षक ने अपराध में प्रयुक्त हथियार यानी चाकू बरामद किया। आरोपी के खिलाफ भादस की धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया और तेलुगु में पढकर सुनाया गया। जब उससे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धार 288(2) के तहत पुछताछ की गई (संक्षेप में 'सीआरपीसी) उक्त आरोप के संबंध में, अरोपी ने कहा कि उसकी पत्नि ने उसे कई तरह से

परेशान किया और 24 अगस्त को दोपहर 2:00 बजे उसकी पत्नि ने बच्चों को दोपहर का भोजन देने के बाद शाम 4:30 बजे के बाद बाहर भेज दिया और जब वह खाट पर लेटा हुआ था, उसकी पत्नि बाहर गई और 10 या 15 मिनट बाद वापस आई और उसे चाकू माने की कोशिश की और उसने उक्त चाकू छीन लिया और उस पर वार किया और वह पुलिस स्टेशन चला गया और पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्युकि वह उस दिन सुबह लगभग 8:00 बजे पुलिस स्टेशन गया था और उसकी पत्नि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर अपने साथ ले गई थी और पुलिस ने उसके कथनों को गंभीरता से नहीं लिया था।

आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों से पूछताछ की। पीडब्ल्यू-1, जो एक पडौसी है, ने कहा कि घटना के समय वह अपने घर में थी और मृतका की चीखे सुनकर, वह आरोपी के घर पहुंची और घर के दरवाजे बंद पाये। उस समय संथी(पीडब्ल्यू-3) आरोपी की बेटी, पलाकोडा अप्पम्मा (पीडब्ल्यू-2) और एक अकुला शंकरी भी वहा आई थी। उन सभी ने दरवाजा खटखटाया। तभी अरोपी ने दरवाजा खोला। उन्होनें देखा कि आरोपी के हाथ में चाकू था जो खून से सना हुआ था। उन्होनें देखा कि मृतका चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके पेट पर चोट लगी हुई थी, जिससे खून बह रहा था, उस चोट को अपने हाथों से दबाया हुआ था। जब उन्होने उससे घटना के बारें में पूछा, तो मृतका ने बताया

कि आरोपी कुछ दिनो से उसके चरित्र पर संदेह कर रहा था और उनके बीच तीखी नोकझोंक के बाद उसने उसे चाकू मार दिया था। वे उसे साईकिल रिक्शा में अस्पताल ले गये और उसे भर्ती कर लिया गया। उपर बताया गया है, आरोपी को दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया।

अपील में कहा गया कि आरोपी ने निजी बचाव में अपराध किया था और इसलिए उसे भादस की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि केवल एक ही बार चाकू से वार किया गया था और मृतका को मारने का कोई इरादा नहीं था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त बातों में कोई तथ्य नहीं पाया और अपील खारिज कर दी।

3. अपील के समर्थन में, विद्वान न्याय मित्र श्री करपगा निनायगम ने प्रस्तुत किया है कि भले ही यह स्वीकर कर लिया जए कि अपीलकर्ता निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा था, परन्तु धारा 302 भादस के तरत दोषसिद्धि उचित नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते है कि आरोपी और मृतका के बीच अचानक झगडा हुआ था और एक ही चाकू की वार से दिया गया था और इसलिए, धारा 302 के तहत दोषसिद्धि उचित नहीं है।

4. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

5. पप्पू बनाम मध्यप्रदेश राज्य में (2006) (7) एससीसी 391 में इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा गयाः

> "14. इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी एक वार दिया जाता है, तो भादस की धारा 302 को खारित कर दिया जाता है। यह इस्तेमाल किए गए हथियार, कुछ मामलों में इसके आकार, बल के साथ वार किया गया, पर निर्भर करेगा, शरीर का कौनसा हिस्सा दिया गया और ऐसे कई प्रासगिंक कारक।"

6. रामकिशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) (3) एससीसी 89 में पैरा 8 पर इसे इस प्रकार देखा गयाः

> "**8.** बिना किसी पूर्वचिन्तन के और अरोपी द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाए बिना हमला निर्विवाद रूप से अचानक झगड़े के दौरान किया गया था।"

7. अवशिष्ट याचिका भादस की धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता से संबंधित है।

8. इसे क्रियान्वित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कृत्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, जोश में आकर अचानक हुई लडाई में,

अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूरर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया गया था।

9. अचानक हुए झगडे में किया गया कृत्य आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिंद्धात पर आधारित है, क्योकिं दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामलें में, कुवल जुनून की वही उर्जा है जो पुरूषों के शांत कारण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यो के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है; लेकिन जो चोट पहुचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के बावजूद कि कोई झटका दिया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी तरह से झगडा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हे अपराध के संबंध में समान स्तर पर रखता है। 'अचानक लडाई' का तात्पर्य आपसी उकसावे और दोनों तरफ से मारपीट से है। तब की गई हत्या को स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण नहीं दिखा जा सकता है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है।

यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागु होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। लडने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ संकल्प नहीं है। अचानक झगडा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनो पक्ष दोषी होते है। हो सकात है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढाया होता तो इसने इतना गंभीर रूप नहीं लिया होता। इसके बाद आपसी उकसावें और उतेजना होती है, और प्रत्येक सेनानी पर जो दोष लगता है, उसे बांटना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की मदद तब जी जा सकती है जब मृत्यु (ए) बिना पूर्वचिन्तन के हुई हो, (बी) अचानक लडाई में, (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना, और (डी) लडाई में मारे गये व्यक्ति के साथ हुई होगी। किसी मामलें को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लेखित सभी सामग्रियां मिलनी होगी। अपवाद 4 में होने वाल ' ' 300 में परिभाषित नहीं है। लडाई करने के लिए दो लोगो की जरूरत होती है। जुनून की उर्जा के लिए जरूयरी है कि जुनून को ठंडा होने का समय मिले। इस मामले में पार्टियों ने शुरूआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को गुस्से में डाल दिया। लडाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लडाई है चाहे वे हथियारों के साथ हो या उनके बिना। अचानक होने वाला झगडा किसे माना जाएगा, इसके बारें में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगडा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामलें के सिद्ध

तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं हे कि अचानक झगडा हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' का अर्थ 'अनुचित लाभ' है।

10. जहां अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य करता है उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यदि इस्तेमाल किया गया हथियार या हमलावर द्वारा हमले का तरीका सभी अनुपात से बाहर है, तो यह तय करने के लिए उस परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है। किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1993 एससी 2426) में यह माना गया कि यदि आरोपी ने निहत्थे व्यक्ति के खिलाफ घातक हथियारों के इस्तेमाल किया और सिर पर वार किया तो यह माना जाना चाहिए कि यह जानते हुए कि उन वार से मौत होने की संभावना है, उसने यह माना जाना चाहिए कि यह जानते हुए कि उन वार से मौत होने की संभावना है, उसने अनुचित फायदा उठाया। इस मामले में निहत्थे व्यक्तियों के महत्वपूर्व के महत्वपूर्ण अंगो पर कूररतापूर्वक प्रहार किया गया। दो मृत व्यक्तियें के पेट फट गया और आंतरिक अंग बाहर आ गए। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को

देखते हुए, भादस की धारा 300 के अपवाद 4 को उचित रूप से अनुपयुक्त माना गया है।

11. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में उचित सजा भादस की धारा 304 भाग एक के तहत होगी। 10 साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्येश्यों को पूरा करेगी। विद्वान न्यायमित्र श्री करपगा विनयगम ने जिस सक्षम तरीके से न्यायालय की सहायता कि, उसके लिए हम अपनी प्रशंसा दर्ज करते है।

12. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आशिंक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी श्री जितेंद्र डुकिया, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।